

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.: एफ. 7(1)डीओपी/ए-11/95 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक: 18-08-2020

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन .- नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम के उप-नियम (4) के विद्यमान निम्नलिखित अन्तिम परन्तुक

“परन्तु यह भी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हो।”

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह भी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे 01.06.2002 से निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हो।”

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक
1	2	3
1	राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954	28ख
2	राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954	28क
3	राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954	28क
4	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954	11ख
5	राजस्थान रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प निरीक्षक सेवा नियम, 1954	24क



6	राजस्थान अभियंता सेवा (विद्युत एवं यांत्रिक शाखा) नियम, 1954	24क
7	राजस्थान अभियंता और अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954	24क
8	राजस्थान अभियंता सेवा (भवन एवं सड़क शाखा) नियम, 1954	24क
9	राजस्थान सहकारी सेवा नियम, 1954	24ख
10	राजस्थान मोटर गैराज सेवा नियम, 1958	21क
11	राजस्थान श्रम एवं कल्याण सेवा नियम, 1958	23क
12	राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958	25क
13	राजस्थान फैक्टरी और बायलर निरीक्षक और फैक्टरी (रसायन) निरीक्षक सेवा नियम, 1958	23क
14	राजस्थान कारागार सेवा नियम, 1959	23क
15	राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि सेवा नियम, 1959	24क
16	राजस्थान राजकीय मुद्रणालय सेवा नियम, 1960	25क
17	राजस्थान नियोजन कार्यालय सेवा नियम, 1960	24क
18	राजस्थान खान एवं भू-गर्भ सेवा नियम, 1960	23क
19	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	25क
20	राजस्थान उद्योग सेवा नियम, 1960	23क
21	राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960	24क
22	राजस्थान उद्यान कृषि सेवा नियम, 1962	23क
23	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962	24क
24	राजस्थान वन सेवा नियम, 1962	31क
25	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963	23क
26	राजस्थान समाज कल्याण सेवा नियम, 1963	24क
27	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963	24क
28	राजस्थान जन संपर्क सेवा नियम, 1966	25
29	राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966	25
30	राजस्थान प्राच्य अनुसंधान संस्थान सेवा नियम, 1967	25
31	राजस्थान आबकारी (निवारक अधिकारी) सेवा नियम, 1967	17
32	राजस्थान अभियंता सेवा और सहबद्ध पद (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1968	25
33	राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969	25
34	राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970	25
35	राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा नियम, 1971	18
36	राजस्थान स्थापत्य सेवा लो.नि.वि. (भ. एवं स.) नियम, 1973	25
37	राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973	25

2/2

38	राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974	11क
39	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975	24क
40	राजस्थान पुरालेख सेवा नियम, 1975	24क
41	राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत निरीक्षणालय शाखा) नियम, 1975	24क
42	राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा नियम, 1976	23क
43	राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976	23क
44	राजस्थान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम, 1976	23क
45	राजस्थान अभियोजन सेवा नियम, 1978	9
46	राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979	24
47	राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान सेवा नियम, 1979	24
48	राजस्थान राज्य उपक्रम सेवा नियम, 1979	24
49	राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979	24
50	राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण निरीक्षक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980	9
51	राजस्थान जिला गंजेटियर्स सेवा नियम, 1980	24
52	राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	28
53	राजस्थान विधि रचना राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981	28
54	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986	24
55	राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986	26
56	राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान सेवा नियम, 1990	9
57	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	30
58	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालयाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1997	26
59	राजस्थान ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	28
60	राजस्थान महिला एवं बाल विकास राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	28
61	राजस्थान देवस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2000	28
62	राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2001	28
63	राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007	27
64	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (गैर-अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	28
65	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	29
66	राजस्थान पेट्रोलियम राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	30
67	राजस्थान मत्स्य राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 2012	30
68	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य और अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013	30
69	राजस्थान नागरिक उड्डयन राज्य सेवा नियम, 2013	30
70	राजस्थान आबकारी प्रयोगशाला (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2015	30

Gm

104	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	24क
105	राजस्थान मोटर गैराज अधीनस्थ सेवा नियम, 1979	24
106	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	24
107	राजस्थान न्याय संबंधी विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1980	24
108	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	26
109	राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	35
110	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2001	35
111	राजस्थान ग्रामीण आयुर्वेदिक, युनानी, होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 2008	29
112	राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014	29
113	राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015	33
114	राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970	26
115	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999	33
116	राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999	26

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

  
(जय सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

50(i)/2020

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

सं.: एफ. 7(1)डीओपी/ए-11/95 पार्ट- 11

जयपुर, दिनांक: 18-08-2020

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, इससे संलग्न अनुसूची में यथोल्लिखित विभिन्न सेवा नियमों और विनियमों को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .-** (1) इन नियमों और विनियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम और विनियम, 2020 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

**2. संशोधन.-** नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित प्रत्येक सेवा नियम और विनियम के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित प्रत्येक नियम और विनियम के विद्यमान निम्नलिखित परन्तुक:-

“परन्तु यह भी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हो।”

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह भी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे 01.06.2002 से निरर्हित नहीं समझा जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हो।”

अनुसूची

क्र.सं. -	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक
1	2	3
1	राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित स्टाफ) नियम तथा विनियम, 1991	12(1)
2	राजस्थान लोक सेवा आयोग (लिपिकवर्गीय तथा अधीनस्थ स्टाफ) नियम तथा विनियम, 1999	33(1)

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

  
(प्रद्युम्न सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

50(ii)/2020